

ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण विभाग

बांधकम भवन, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, 25,
मर्जबन रोड, फोर्ट, मुंबई 400 001
दिनांक 4 मार्च, 2014

अधिसूचना

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम

संख्या पीआरआई-2010/सीआर-130/पीआर-2- जबकि संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 40) के प्रावधानों को अधिनियमित करके भारत के संविधान के भाग IX के प्रावधानों को विस्तारित किया है, जैसा कि संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया है;

और जबकि, उक्त केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ने बॉम्बे ग्राम पंचायतों और महाराष्ट्र जिला परिषदों और पंचायत समितियों (संशोधन) अधिनियम, 2003 (एमएच) को अधिनियमित करके महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (1959 का III) में संशोधन किया है। (ख) वर्ष 2003 का XXVII) और समय-समय पर अधिनियमित अन्य संशोधन अधिनियम ने इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा और पंचायत के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान करते हुए अध्याय III-क में अंतःस्थापित किया है;

और जबकि, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, इसके उक्त संशोधनों के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और पंचायतों को लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीकों और लघु वन उपज के स्वामित्व आदि की रक्षा और संरक्षण करने का अधिकार देता है;

और जबकि, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए बॉम्बे ग्राम पंचायतों और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003 का कार्यान्वयन, जो स्व-शासन को बढ़ावा देता है, ग्राम सभाओं को केंद्रीय भूमिका देता है, महत्वपूर्ण है; और उस उद्देश्य के लिए उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना।

अब, इसलिए, धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (xivii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्याय III-A की धारा 54क, 54ख, 54ग, 54घ के साथ धारा 57 की उप-धारा (2), धारा 58 की उप-धारा (2) और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (1959 का III) की धारा 153ख और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें पहले प्रकाशित किया गया है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 176 की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और सीमा :- (1) इन नियमों को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार (पीईएसए) नियम, 2014 कहा जा सकता है।

(2) वे राज्य के उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होंगे जहां अधिनियम लागू है।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 (1959 का III) है;

(ख) "प्रपत्र" का तात्पर्य है नियमों से जुड़ा प्रपत्र;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य है महाराष्ट्र सरकार;

(घ) "ग्राम सभा" का तात्पर्य अनुसूचित क्षेत्र में एक ग्राम सभा से है, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं;

(ङ) "सचिव" का तात्पर्य है महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा -60 के अंतर्गत नियुक्त या नियुक्त माना जाने वाला पंचायत का सचिव।

(च) "राज्य" का तात्पर्य है महाराष्ट्र राज्य

(2) इन नियमों में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः बॉम्बे मनी-लेंडर्स एक्ट 1947 (1947 का बॉम्बे XXXI); महाराष्ट्र निषेध अधिनियम (1949 का XXV); महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (1951 का XXII); महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (1959 का III); महाराष्ट्र मात्स्यिकी अधिनियम, 1961 (1961 का महा-1); महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 1962 का III); महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 1962 का वी); महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 1966 का एक्सएलआई; महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1969 1969 का LVII); महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 1977 का XXVIII); महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम, 1976 1976 का XXXVIII); महाराष्ट्र वन विकास (सरकार या वन विकास निगम द्वारा वन-उपज की बिक्री पर कर) (निरंतरता) अधिनियम, 1983 1983 का XXII)। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उपज के स्वामित्व का महाराष्ट्र हस्तांतरण, और महाराष्ट्र लघु वन उपज (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1997 1997 का एक्सएलवी; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006। (2007 का नंबर 2) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 18), महाराष्ट्र भूमि सुधार योजना अधिनियम (1942 के XXVIII) में उन्हें सौंपे गए तात्पर्य होंगे;

अध्याय II

ग्राम सभा की संरचना और कार्य

3. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की संरचना :- ग्राम स्तर पर पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावलियों में शामिल सभी लोग उस ग्राम की ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

4. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम की घोषणा :- (1) यदि किसी बसावट या बसावट के समूह या बस्ती के समूह या बस्ती के लोगों की राय है कि उनकी बसावट या बस्ती या बसावट के समूह को ग्राम के रूप में दर्ज किया जाएगा, तो वे उस बसावट या बस्ती या बसावट के समूह की मतदान सूची में कम से कम आधे पंजीकृत मतदाताओं के बहुमत से एक संकल्प पारित कर सकेंगे। या हैमलेट, जैसा भी मामला हो, इस आशय का और कलेक्टर की सूचना के अंतर्गत संबंधित उप-विभागीय अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

(2) उप-विभागीय अधिकारी तीन महीने के भीतर संकल्प के गुण-दोष की जांच करेंगे। इस प्रयोजन के लिए वह व्यापक प्रचार करने के बाद उस बस्ती या बस्ती, या निवास या बस्ती के समूह के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक बैठक बुलाएगा, और सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए एक जांच करेगा। फिर वह अपने निष्कर्षों के साथ कलेक्टर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि प्रस्तावित ग्राम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं:

परन्तु यदि अनुविभागीय अधिकारी ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिन से तीन माह के भीतर प्रश्न पर निर्णय नहीं लेता है, तो कलेक्टर ऐसे संकल्प का संज्ञान लेने के लिए मुकदमा करेगा और 45 दिनों के भीतर इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकेगा।

(3) ऐसे संकल्प को अस्वीकार करने वाले उप-विभागीय अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील कलेक्टर के पास होगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(4) कलेक्टर, यदि संतुष्ट है कि एक नया ग्राम इस प्रकार अधिसूचित किया जाना है, तो अधिनियम के अध्याय III-A के अनुसार नए ग्राम की अधिसूचना के लिए संभागीय आयुक्त को अपनी अनुशंसा भेजेगा:

परन्तु उप-विभागीय अधिकारी के संदर्भ पर निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे संदर्भ की प्राप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर लिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर अनुमोदन दिया गया माना जाएगा।

5. पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी समिति होगी:- (1) पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारी समिति समझा जाएगा।

(2) पंचायत ग्राम सभा के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत कार्य करेगी।

6. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सचिव, कार्यालय आदि :- (1) ऐसी स्थिति में जहाँ किसी पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएँ हैं, पंचायत का सचिव सभी ग्राम सभाओं का सचिव होगा। उनकी अनुपस्थिति में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के अध्याय-3 की धारा 54 सी के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(2) पंचायत का कार्यालय ग्राम सभा का कार्यालय होगा। यदि किसी पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा है, तो प्रत्येक ग्राम सभा का अपने ग्राम में अपना कार्यालय होगा, जैसे कि सार्वजनिक भवन, समाज मंदिर, स्कूल या कोई भी स्थान जहाँ जनता की आसान पहुँच है, और ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एक साधारण व्यक्ति का घर:

बशर्ते कि ऐसे कार्यालय के लिए किसी भी रूप में कोई किराया नहीं दिया जाएगा।

7. अनुसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से होने वाली ग्राम सभा की बैठकें :- (1) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक या कार्यवाही सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी।

(2) यहां तक कि यदि ग्राम सभा की बैठक बंद भवन में आयोजित की जानी है, तो दरवाजे बंद करने या प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

8. निर्णय लेने की विधि :- (1) जहां तक संभव हो, ग्राम सभा का कार्यकरण आम सहमति से किया जाएगा।

(2) बैठक में किसी मुद्दे पर आम सहमति न बन पाने की स्थिति में, उस मामले पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, जैसा कि प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा द्वारा तय किया गया है।

(3) यदि दूसरी बैठक में भी आम सहमति नहीं बनती है, तो उस बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

9. ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही :- (1) निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली ग्राम सभा सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में, उप-सरपंच, और सरपंच और उप-सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में, अनुसूचित जनजाति के एक पंचायत सदस्य को ग्राम सभा

द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। कोई भी सरपंच या उप-सरपंच या पंचायत का सदस्य ऊपर उल्लिखित अवसर को छोड़कर, ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जिन गांवों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या दस प्रतिशत से कम है, उनमें से एक अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जा सकता है जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं हैं।

(2) ग्राम सभा की बैठकों के लिए, इस नियम के उप-नियम (1) में उल्लिखित बैठकों के अलावा, अध्यक्ष का चयन यथासंभव आम सहमति से किया जाएगा। यदि कोई आम सहमति नहीं है, तो यह बहुमत से होगा। अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो केवल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है।

(3) ग्राम सभा की बैठक का कोरम पच्चीस प्रतिशत होगा। कुल सदस्यों में से या एक सौ, जो भी कम हो

(4) कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में बैठक स्थगित कर दी जाएगी। स्थगन के बाद बुलाई गई बैठक में भी कोरम आवश्यक होगा।

(5) सचिव द्वारा ग्राम सभा की बैठक में पिछले माह के आय-व्यय का संपूर्ण अभिलेख, श्रमिकों का मस्टर रोल, क्रय-विक्रय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) बैठक का समापन करते समय, सचिव द्वारा ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाएगा। उस वक्तव्य को बैठक में पढ़ा जाएगा। बयान की सत्यता पर आम सहमति के बाद, अध्यक्ष, सचिव और लेखक हस्ताक्षर करेंगे।

10. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की स्थायी समितियां :- (1) ग्राम सभा स्थायी समितियों जैसे शांति समिति, न्याय समिति, संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति, नशा नियंत्रण समिति, ऋण नियंत्रण समिति, बाजार समिति, सभा कोष समिति और ग्राम सभा द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य समितियों का गठन कर सकती है ताकि ग्राम के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार अस्थायी और तदर्थ समितियों का गठन किया जा सकता है। ये समितियां पंचायत और ग्राम सभा दोनों के प्रति जवाबदेह होंगी।

(2) स्थायी समितियों के सदस्यों का चयन ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच किया जाएगा। ऐसे सदस्य का चयन कार्य की प्रकृति और ग्राम सभा की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या और समाज में महिलाओं और अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व का निर्णय लेगी। ऐसी स्थायी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा:

बशर्ते कि, किसी भी स्थायी समिति के सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं होंगी।

(3) स्थायी समिति के अध्यक्ष को ग्राम सभा द्वारा संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों में से नामित किया जाएगा।

(4) स्थायी समिति के सचिव का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा, संबंधित प्रशासनिक विभागों के परामर्श से, ग्राम के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थायी समिति के लिए काम करने के लिए किसी अधिकारी को गैर-मतदान सदस्य के रूप में नामित कर सकती है और वह स्थायी समिति को उसके कामकाज में सहायता करेगी।

(5) विभिन्न विषयों पर ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थायी समिति की होगी।

11. ग्राम सभा की स्थायी समितियों की प्रक्रिया :- ग्राम सभा की स्थायी समितियों की प्रक्रिया

निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-

- (1) पंचायत सहित सभी स्थायी समितियों की बैठकें खुली रहेंगी।
- (2) स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना, उसकी तारीख, समय और स्थान और किए जाने वाले कार्य को निर्दिष्ट करते हुए स्थायी समिति के सचिव द्वारा कम से कम तीन दिन पहले दी जाएगी।
- (3) स्थायी समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित आधा होगा।
- (4) ग्राम सभा का सदस्य स्थायी समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। वह अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के दौरान विषय पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है:
बशर्त कि ऐसे सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा
- (5) स्थायी समितियों के सभी निर्णय ग्राम सभा की प्रक्रिया के अनुसार लिए जाएंगे।
- (6) स्थायी समितियों की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सार कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और ऐसी बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (7) स्थायी समितियों के सभी निर्णय और अन्य रिकॉर्ड ग्राम की अगली ग्राम सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

12. ग्राम सभा द्वारा आपत्ति:- (1) पंचायत और ग्राम सभा के सभी अभिलेख सभी ग्रामवासियों के लिए खुले रहेंगे। यह पंचायत समितियों, जिला परिषदों और सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को निरीक्षण, जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) ग्राम सभा द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में की गई कोई आपत्ति, आपत्तिकर्ता द्वारा पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा की सामान्य बैठक में उठाई जा सकती है।

(3) यदि आपत्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की राय है कि आपत्ति को हल करने के लिए ग्राम सभा की सहायता के लिए एक पर्यवेक्षक आवश्यक है, तो वह खंड विकास अधिकारी से ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए एक पर्यवेक्षक को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।

(4) यदि खंड विकास अधिकारी पर्यवेक्षक की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है, तो वह आपत्तिकर्ता को सूचित करते हुए ग्राम सभा की बैठक के लिए विस्तार अधिकारी के पद से नीचे के पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्त नहीं कर सकता है।

(5) इस प्रकार नियुक्त पर्यवेक्षक आपत्तिकर्ता की शिकायत के निवारण की सुविधा प्रदान करेगा।

(6) यदि समस्या हल नहीं होती है, तो आपत्तिकर्ता या पर्यवेक्षक इस मुद्दे को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेज सकता है जो इस मुद्दे की जांच करेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

13. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकें - (1) प्रत्येक ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार में अपने कृत्यों को निष्पादित करने के लिए सक्षम होगी:

परन्तु जिन मामलों में अन्य ग्राम सभाओं के साथ कार्य करना आवश्यक है, उनमें पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी ग्राम सभाओं की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

(2) ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक ग्राम सभा पर लागू प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी जैसे कि संबंधित ग्राम सभा एक इकाई है।

(3) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जहां तक संभव हो आम सहमति से चुने गए व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(4) संयुक्त बैठक में प्रत्येक *ग्राम सभा* के सदस्यों या प्रत्येक *ग्राम सभा* के एक सौ सदस्यों, जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोरम नहीं है, तो अगली बैठक की तारीख को उसी दिन अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे सभी *ग्राम सभाओं* को भेज दिया जाएगा।

(5) निर्णय लेने की प्रक्रिया एकल *ग्राम सभा* के मामले में समान होगी।

अध्याय III

ग्राम सभा के लेखे

14. *अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा कोष :-* (1) *ग्राम सभा* एक *ग्राम सभा कोष* का रख-रखाव करेगी।

(2) कोष में नकद और वस्तुओं के स्वैच्छिक योगदान सहित किसी भी रूप में प्राप्त योगदान, और लघु वन उपज, गौण खनिज आदि से प्राप्त राशि, और संसाधनों की खपत पर लगाए गए अधिभार और *ग्राम सभा* द्वारा लगाए गए जुर्माने शामिल होंगे। इसमें किसी भी हस्तांतरण योजना के अंतर्गत हस्तांतरण भी शामिल हो सकता है, जैसा कि सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

(3) कोष *ग्राम सभा* के नियंत्रण में होगा। *ग्राम सभा* के प्रस्तावों के अनुसार *ग्राम सभा* को इसके उपयोग का पूरा अधिकार होगा।

(4) कोष का संचालन *ग्राम सभा कोष समिति* द्वारा किया जाएगा जिसमें पंचायत के सचिव और अन्य दो सदस्य आम सहमति से नामित या *ग्राम सभा* द्वारा चुने जाएंगे। इन दो सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिला होगी। सभी लेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी और सूचना और अंतिम अनुमोदन के लिए *ग्राम सभा* के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

15. *लेखों का रख-रखाव किया जाना चाहिए :-* (1) *ग्राम सभा कोष* के लेखों का रख-रखाव *ग्राम सभा कोष समिति* के सदस्य द्वारा एक रजिस्टर में किया जाएगा।

(2) *ग्राम सभा कोष* की प्राप्तियों और व्यय विवरण को *ग्राम सभा* की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

16. *ग्राम सभावार खाते :-* प्रत्येक *ग्राम सभा* प्राप्ति और व्यय का एक अलग लेखा रखेगी जिसे संबंधित *ग्राम सभा* द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। *ग्राम सभा कोष* और *पंचायत* का लेखा *पंचायत समिति*, *जिला परिषद* और स्थानीय निधि प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होगा:

बशर्ते कि ग्रामीण विकास और जल संरक्षण विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों के प्रकाशित होने के एक वर्ष के भीतर *ग्राम सभा कोष* के अभिलेखों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव के लिए लेखांकन निर्देश, प्रशिक्षण और प्रावधान प्रदान करने का प्रयास करेगा।

अध्याय IV

शांति, सुरक्षा और विवाद समाधान

17. *अनुसूचित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विवाद समाधान बनाए रखने में ग्राम सभा की भूमिका -* (1) सामुदायिक परंपराओं और उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक कानूनों और नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए, *ग्राम सभा* का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र में शांति,

सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखे।

- (2) *ग्राम सभा* निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सक्षम है और अपने क्षेत्र में काम करती है-
- (i) शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें;
 - (ii) आत्म-सम्मान की रक्षा करें और प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखें;
 - (iii) महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा आदि सहित असामाजिक तत्वों के दुर्गुणों का मुकाबला करें।
 - (iv) विवादों को हल करें

18. *शांति समिति* :- *ग्राम सभा* एक शांति समिति का गठन कर सकती है। शांति समिति में कम से कम तैंतीस प्रतिशत महिलाएं, और कम से कम पचास प्रतिशत अनुसूचित जनजातियाँ के सदस्य होंगे।

(2) शांति समिति पड़ोसी गांवों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि पड़ोसी गांवों के सामान्य हित और परस्पर निर्भरता के मामलों में, की गई कोई भी कार्रवाई पड़ोसी गांवों के परामर्श पर आधारित होगी।

- (3) *ग्राम सभा* शांति समिति को अधिकार दे सकती है,-
- (i) ग्राम की शांति भंग करने वाली घटनाओं की जांच करने और निर्णय के लिए *ग्राम सभा* को रिपोर्ट करने की;
 - (ii) शांति भंग करने वालों को सलाह देने और मध्यस्थता करने की;
 - (iii) जहां आवश्यक हो तत्काल कार्रवाई करने, और बाद में *ग्राम सभा* को रिपोर्ट करने;
 - (iv) *ग्राम सभा* के अनुमोदन से उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उपयुक्त कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट या अनुरोध करना।

19. *पुलिस की भूमिका* :- यदि पुलिस को किसी अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, इसकी एक प्रति *ग्राम सभा* और शांति समिति को सभी मामलों में जानकारी के लिए भेजी जाएगी।

अध्याय V

प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और भूमि का प्रबंधन

20. *अनुसूचित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए ग्राम सभा* - (1) *ग्राम सभा* स्थानीय परंपरा और केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों की भावना के अनुसार अपने क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ उन लोगों की सुरक्षा और परिरक्षण करने के लिए सक्षम है जिन पर उसे जल, जंगल, भूमि और खनिजों सहित पारंपरिक अधिकार प्राप्त हैं। इस भूमिका को पूरा करने के लिए, *ग्राम सभा* उनके प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकती है।

- (2) *ग्राम सभा* यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि,-
- (i) लाईवहोल्ड साधन सतत हों;
 - (ii) लोगों के बीच असमानता नहीं बढ़ें;

(iii) संसाधन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहें;

(iv) स्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए।

(3) हालांकि, प्रचलित नियमों के अनुसार, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकारों का उचित रूप से सम्मान किया जाएगा, उनका प्रबंधन समुदाय की विरासत की अंतर्निहित भावना को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

21. *संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति*:- (1) *ग्राम सभा* की एक स्थायी संसाधन योजना और प्रबंधन समिति होगी। सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि संसाधन योजना और प्रबंधन समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इसकी बैठकों में भाग लेंगे।

(2) संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति *ग्राम सभा* के पास ग्राम के क्षेत्र के भीतर और आसपास के संसाधनों के स्थायी उपयोग के लिए एक योजना तैयार करेगी और तदनुसार उनका उपयोग करने के लिए *ग्राम सभा* के सदस्यों के साथ सलाह और सहयोग करेगी।

(3) संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग के बारे में मतभेद या विवाद सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी। *ग्राम सभा* ऐसे विवादों को हल करने के लिए संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति को अधिकृत कर सकती है। यदि संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति इसका समाधान करने में सक्षम नहीं है, तो *ग्राम सभा* की बैठकों में इस पर विचार किया जाएगा। *ग्राम सभा* का निर्णय अंतिम होगा।

(4) संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति अपने कार्यों में सहायता करने के लिए खेती, गौण खनिजों आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों पर उप-समितियों का गठन कर सकती है।

22. *ग्राम सभा खेती के लिए योजना बनाएगी* :- (1) *ग्राम सभा* अपने गाँव की खेती के बारे में इस तरह से योजना बनाने और कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी ताकि खेती को किसान के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

(2) *ग्राम सभा* के निर्णयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु शामिल हो सकते हैं,-

(क) मृदा अपरदन को रोकने के लिए;

(ख) फसलों की रक्षा और घास के मैदानों की क्षमता बढ़ाने के लिए चराई को विनियमित करना;

(ग) बारिश के पानी को जमा करने के लिए, इसे खेती के लिए उपयोग करना और इसके वितरण के लिए प्रदान करना;

(घ) पारस्परिक सहयोग से या अन्यथा, बीज, खाद आदि के प्रावधान के साथ-साथ ज्ञान साझा करने के लिए;

(ङ) जैविक खादों, उर्वरकों और कीटनाशकों को बढ़ावा देना।

23. *अनुसूचित क्षेत्र में भूमि प्रबंधन* :- (1) *ग्राम सभा* *ग्राम सभा* की बैठकों में ग्राम की संपूर्ण भूमि के अभिलेखों की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान के नाम सही ढंग से दर्ज किए गए हैं और अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है।

(2) संस्थागत और गैर-संस्थागत लेनदारों को भूमि के बंधक से संबंधित सभी मामलों को जानकारी के लिए *ग्राम सभा* के समक्ष रखा जाएगा।

24. अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण की रोकथाम:- (1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों की कोई भी भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को अवैध रूप से हस्तांतरित नहीं की जाती है।

(2) ग्राम सभा किसी भी भूमि लेनदेन की जांच करने के लिए सक्षम होगी, या शिकायतों के आधार पर या स्वतः आदर्श वाक्य के आधार पर शांति समिति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करेगी।

(3) शांति समिति अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी।

(4) यदि ग्राम सभा की राय है कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि को गैरकानूनी रूप से अलग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वह लेनदेन को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

(5) ग्राम सभा ग्राम के भूमि रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां कर सकती है,-

(क) भूमि धारिता की एक सूची तैयार करना जिसमें धारित भूमि की सीमा और आनंद लेने वालों के साथ खातेदारों के नामों का विवरण हो।

(ख) सभी खातेदारों के सामाजिक स्थिति के दावों की सत्यता की जांच करना कि क्या खातेदार एक वास्तविक अनुसूचित जनजाति है;

(ग) इस बात की पुष्टि करें कि क्या भूमि किसी आदिवासी के नाम पर खरीदी गई है और किसी गैर-आदिवासी द्वारा इसका लाभ उठा रहा है;

(घ) यदि वांछित हो तो खेत का दौरा करें और भौतिक रूप से सत्यापित करें कि क्या भूमि पर आदिवासी द्वारा खेती की जाती है या गैर-आदिवासी द्वारा पट्टे, बंधक आदि पर ली गई है;

(ङ) सरकारी भूमि के आवंटन के लिए लाभार्थियों की सूची को मंजूरी देना;

(च) उपर्युक्त (क) से (ङ) में उल्लिखित सभी मामलों में, यदि ग्राम सभा पूरी जांच के बाद संतुष्ट हो जाती है कि भूमि का कतिपय कब्जा महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 के उपबंधों का उल्लंघन है तो 1966 की एक्सएलआई या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, यथासंशोधित किया गया है, ग्राम सभा उल्लंघन के विवरण का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव पारित करेगी। इस संकल्प की प्राप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी परिणामी कार्रवाई शुरू करेगा।

(6) यदि भूमि के कब्जे के संबंध में परस्पर विरोधी दावे हैं, तो ग्राम सभा एक बैठक बुलाएगी और उचित प्रस्ताव पारित करने के लिए संबंधितों से ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य मांगेगी। ग्राम सभा गैर-आदिवासी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण पर कोई शिकायत प्राप्त होने पर एक बैठक भी बुलाएगी या उचित प्रस्ताव पारित करेगी और इसे सक्षम प्राधिकारी को अनुसूचित जनजाति के मालिक को भूमि बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित करेगी।

(7) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई भी व्यक्ति समाधान की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास याचिका दायर कर सकता है।

(8) सक्षम प्राधिकारी या तो याचिका को अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है या विचार के लिए ग्राम सभा को भेज सकता है।

(9) ऐसा संदर्भ प्राप्त होने के बाद, *ग्राम सभा* तीस दिनों की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याचिका पर सुनवाई करेगी, उस संदर्भ पर संकल्प पारित करेगी और इसे सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(10) संबंधित सक्षम प्राधिकारी *ग्राम सभा* के संकल्प पर विचार करेगा और याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए उचित आदेश पारित करेगा।

(11) सक्षम प्राधिकारी आदिवासी और गैर-जनजातीय लोगों से संबंधित भूमि हस्तांतरण के प्रत्येक मामले में सुविचारित राय के लिए संबंधित सचिव के माध्यम से *ग्राम सभा* को अनिवार्य रूप से प्रेरित करेगा और *ग्राम सभा* की राय की विधिवत जांच की जाएगी। यह तब भी होगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही स्वतः संज्ञान लेती है या व्यक्तिगत शिकायतों पर संज्ञान लेती है, ताकि आदिवासी से गैर-आदिवासी को भूमि हस्तांतरण को रोका जा सके या किसी आदिवासी को भूमि बहाल की जा सके।

(12) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में संबंधित निर्णय की प्रतियां *ग्राम सभा* को प्रस्तुत करेगा।

25. *अलग-थलग पड़ी भूमि की बहाली* - (1) यदि *ग्राम सभा* यह पाती है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भूमि पर बिना किसी विधिसम्मत प्राधिकार के काबिज है, तो *ग्राम सभा* उस व्यक्ति को ऐसी भूमि का कब्जा बहाल करने के लिए एक संकल्प पारित करेगी जिसकी वह मूल रूप से थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है, अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए। *ग्राम सभा* के निर्णय से सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराया जाएगा जो संकल्प को सत्यापित करने और भूमि को बहाल करने के लिए एक संक्षिप्त जांच करेगा।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी की सुविचारित राय है कि संकल्प विधिसम्मत नहीं है, तो वह लिखित रूप में अपनी टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए *ग्राम सभा* को भेजेगा।

(3) यदि *ग्राम सभा* दर्ज किए गए कारणों और लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य के साथ अपना निर्णय बनाए रखती है, तो सक्षम प्राधिकारी विस्तृत जांच करेगा जिसमें शामिल पक्षों में से एक *ग्राम सभा* होगी, और अंतिम निर्णय देगी।

26. *भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श* - (1) जब सरकार किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, जो लागू है, तो सरकार या संबंधित भूमि अर्जन प्राधिकारी प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित लिखित सूचना *ग्राम सभा* को प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

- (i) प्राकृतिक संसाधनों और इसके आस-पास रहने वाले लोगों पर परियोजना के संभावित प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की पूरी रूपरेखा;
- (ii) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विवरण;
- (iii) नए लोगों के ग्राम में बसने की संभावना और क्षेत्र और समाज पर संभावित प्रभाव, और प्रस्तावित भागीदारी, मुआवजे की राशि, ग्राम के लोगों के लिए नौकरी के अवसर, आदि;
- (iv) पुनर्वास योजना

(2) पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद, संबंधित *ग्राम सभाएं* संबंधित अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए बुलाने के लिए सक्षम होंगी। तलब किए गए ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए बिंदुवार स्पष्ट और सही जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) ग्राम सभा सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास योजना के संबंध में अनुशंसा करेगी।

(4) ग्राम सभा की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जाएगा।

(5) यदि कलेक्टर ग्राम सभा की सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो वह मामले को पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा को फिर से भेजेगा।

(6) यदि दूसरे परामर्श के बाद, कलेक्टर ग्राम सभा की सिफारिशों के खिलाफ एक आदेश पारित करता है, तो वह लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा और इसे जानकारी के लिए ग्राम सभा को भेजा जाएगा।

(7) बड़ी परियोजनाओं के मामले में, ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित सभी ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाएगा।

27. अनुसूचित क्षेत्र में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास- (1) संबंधित भूमि अधिग्रहण एजेंसी पुनर्वास के सभी विवरण ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों और उत्तरों को ग्राम सभा के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।

(2) यदि ग्राम सभा बहुमत से निर्णय लेती है कि सुविधाएं प्रदान करने जैसे कार्य पंचायत के माध्यम से किए जाएंगे। जिन कार्यों के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, उन्हें संबंधित विभाग या पंचायत द्वारा उचित स्तर पर किया जा सकता है।

28. जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन :- (1) जल संसाधनों के उपयोग का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि वे भावी पीढ़ियों के लिये अक्षुण्ण रहें और इन संसाधनों पर सभी ग्रामवासियों का समान अधिकार हो।

(2) एक पंचायत के भीतर छोटे जल निकायों का प्रबंधन पंचायत द्वारा किया जाएगा, जो पंचायत समिति द्वारा एक से अधिक पंचायत तक विस्तारित हैं, और जो जिला परिषद द्वारा एक से अधिक पंचायत समितियों तक विस्तारित हैं।

(3) पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, संबंधित ग्राम सभाओं या पंचायत समितियों के साथ परामर्श करने के बाद, उनकी परंपराओं और प्रचलित कानूनों की भावना को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए ग्राम में उपलब्ध पानी के उपयोग को विनियमित करेगा और उपयोग की प्राथमिकता के बारे में भी निर्णय लेगा।

29. सिंचाई का प्रबंधन- (1) पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, संबंधित संसाधन नियोजन और प्रबंधन समितियों की सलाह लेने के बाद सिंचाई के लिए पानी के उपयोग को विनियमित करेगी।

(2) सिंचाई के लिए पानी का उपयोग ऐसा होगा कि सभी को समान पहुंच की अनुमति दी जाए।

30. लघु जल निकायों का प्रबंधन- (1) पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, संबंधित संसाधन नियोजन और प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के परामर्श से सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए व्यवस्था करेगा।

(2) सभी व्यक्तियों को ग्राम के क्षेत्र के भीतर स्थित जल संसाधनों में परंपरा के अनुसार मछली पकड़ने का समान अधिकार होगा।

(3) स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए *पंचायत* मछली पकड़ने के किसी भी पहलू के बारे में आवश्यक शर्तें लगाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अन्यायपूर्ण तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि न करे और मछली की निरंतर उपलब्धता भी सुनिश्चित करे।

31. *अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन*- (1) पारंपरिक रूप से समुदाय द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन *ग्राम सभा* द्वारा किया जाएगा

(2) सामुदायिक परिसंपत्तियों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और इसे सालाना सत्यापित किया जाएगा ताकि उनके स्वामित्व, उपयोग, उद्देश्य में बदलाव न हो और उन पर अतिक्रमण न हो।

(3) दान, श्रमदान, सहायता के माध्यम से बनाई गई किसी भी नई सामुदायिक संपत्ति को तुरंत रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) सामुदायिक परिसंपत्तियों का उपयोग *ग्राम सभा* के माध्यम से समुदाय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा

अध्याय VI

खान और खनिज

32. *अनुसूचित क्षेत्र में गौण खनिजों के लिए योजना बनाने की ग्राम सभा की शक्ति*:- (1) *ग्राम सभा* अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी, पत्थर, रेत आदि सहित सभी गौण खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना बनाने और नियंत्रित करने में सक्षम है।

(2) ग्रामीण पारंपरिक प्रथा के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए छोटे खनिजों का उपयोग कर सकते हैं:

परन्तु ऐसे खनिजों के उपयोग के लिए *ग्राम सभा* की अनुमति अनिवार्य होगी।

(3) संबंधित सरकारी विभाग *ग्राम सभा* के परामर्श के बाद ही खनन पट्टे प्रदान करेगा या गौण खनिजों की नीलामी करेगा।

(4) *ग्राम सभा* गौण खनिजों के पट्टों में पर्यावरण, रोजगार आदि की रक्षा के लिए शर्तों का सुझाव दे सकती है।

(5) गौण खनिज उत्पादन की व्यावसायिक व्यवहार्यता वाले ग्रामों में गौण खनिजों का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति देने से पूर्व संबंधित खनिज विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह *ग्राम सभा* की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करे। खनिज विभाग के संबंधित अधिकारी इस संबंध में *ग्राम सभा* को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

(6) संबंधित खनन विभाग पट्टे और नीलामी के सभी विवरण *ग्राम सभा* को देगा। *ग्राम सभा* को किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने का अधिकार होगा। संबंधित खनन विभाग *ग्राम सभा* द्वारा की गई शिकायतों की जांच करेगा और *ग्राम सभा* को उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।

(7) *ग्राम सभा* चार सप्ताह के भीतर एक उचित समाधान पारित करके अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति को अग्रेषित करेगी।

(8) *ग्राम सभा* का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा:

बशर्ते कि इस नियम के प्रावधान केवल गैर-वन क्षेत्र पर लागू होंगे।

33. नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन की अनुमति प्रदान करना- यदि गौण खनिजों के दोहन के लिए किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई अनुमति दी जाती है तो उक्त सरकारी विभाग के लिए ग्राम सभा से आवश्यक सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अध्याय VII

जनशक्ति

34. ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में श्रम बल के लिए योजना बनाएगी:- (1) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलाप करने के लिए सक्षम है कि केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करके और उन्हें स्वयं या पंचायत के माध्यम से निष्पादित करके ग्राम श्रम बल का पूर्ण उपयोग हो।

(2) ग्राम सभा ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकती है जो लोगों के बीच सहयोग, एक-दूसरे के ज्ञान, कार्य आदि को साझा करने को प्रोत्साहित करती है।

35. मजदूरों को ग्राम के बाहर ले जाया जाए :- (1) नौकरी के लिए ग्राम से बाहर श्रमिक ले जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्य की प्रकृति और शर्तों को निर्दिष्ट करने वाले लिखित या मौखिक समझौते के बारे में ग्राम सभा को पूरी जानकारी प्रदान करें, और किसी भी श्रमिक को ग्राम के बाहर ले जाने से पहले उसकी अनुमति प्राप्त करें।

(2) ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही, लोगों को काम पर लगाना संभव होगा।

(3) सरकारी या संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावा, निजी या असंगठित क्षेत्र के प्रबंधकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे महिलाओं के हित के बारे में समय-समय पर संबंधित ग्राम सभा को सूचित करते रहें।

अध्याय VIII

नशा नियंत्रण

36. अनुसूचित क्षेत्र में नशीले पदार्थों का विनियमन :- ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से संबंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए सक्षम होगी, अर्थात्, ग्राम सभा,-

(क) आदिवासियों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए स्थानीय शराब बनाने की अनुमति देने की छूट को पूरी तरह से बंद करना या ग्राम में इसके उत्पादन, बिक्री, वितरण, खपत या भंडारण पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना;

(ख) किसी दुकान से या किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री को रोकने के निर्देश देना:

बशर्ते कि ये निर्देश अनुबंध की समाप्ति के तुरंत बाद या लागू होंगे;

(ग) किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ को ग्राम के क्षेत्र के बाहर लाने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाना;

(घ) किसी भी स्थान पर नशीले पदार्थों के भंडारण पर प्रतिबंध या सीमा लागू करना;

(ङ) अपने ग्राम के क्षेत्र में शराब या अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को पूरी तरह से रोकना और

किसी भी प्रतिबंध को लागू करना;

- (च) *महुआ*, जागरी, आदि की बिक्री पर प्रतिबंध, जिसका उपयोग ग्राम के क्षेत्र के भीतर या बाजार में शराब बनाने में किया जाता है;
- (छ) उपयुक्त निर्देश जारी करके ताड़ी, या किसी भी स्थानीय मादक पदार्थ के उपयोग को विनियमित करना

37. *नशा नियंत्रण समिति*:- (1) *ग्राम सभा* नशे से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए एक नशा नियंत्रण समिति का गठन कर सकती है, और साथ ही शिकायतों के आधार पर या स्वतः आदर्श वाक्य पर, लोगों के लाभ के लिए मादक पदार्थों के नियंत्रण के बारे में उपयुक्त सुझाव दे सकती है।

(2) नशा नियंत्रण समिति के सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं होंगी।

(3) नशा नियंत्रण समिति की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाले कारखाने लाइसेंस में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करते हैं और किसी भी उल्लंघन के मामले में, सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट करें;

(ख) संबंधित कारखाने के मालिक को शराब के निर्माण, इसकी वितरण प्रणाली, पर्यावरणीय प्रभाव आदि सहित लोगों के कल्याण से संबंधित सभी मामलों को *ग्राम सभा* के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहना।

(4) *ग्राम सभा* नशा नियंत्रण समिति के सुचारु संचालन के लिए संबंधित आबकारी विभाग से सलाह और मदद ले सकती है।

38. *ग्राम सभा द्वारा नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए निर्देश* :- *ग्राम सभा* लोगों के कल्याण से संबंधित मामलों पर मादक पदार्थ बनाने वाले किसी भी कारखाने के मालिक को उचित निर्देश दे सकती है, और यदि आवश्यक हो तो संबंधित आबकारी विभाग या कलेक्टर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी कर सकती है।

39. *अनुसूचित क्षेत्र में नया कारखाना या दुकान खोलना*:- (1) *ग्राम सभा* की सहमति के बिना, शराब या अन्य नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए कोई नया कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा।

(2) सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा *ग्राम सभा* के अधिकार क्षेत्र में शराब या अन्य नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए एक कारखाने का निर्माण करने या शराब की बिक्री के लिए एक नई दुकान खोलने के सभी प्रस्तावों को *ग्राम सभा* के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(3) केवल आदिवासी या आदिवासियों का समूह, जो ग्राम के निवासी हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में नई दुकान या नया कारखाना खोलने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(4) *ग्राम सभा* का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि *ग्राम सभा* इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लेती है या यदि प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है, तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार्य माना जाएगा।

(6) *ग्राम सभा* ग्राम क्षेत्र में प्रदूषण के लिए शराब कारखाने को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है और *ग्राम सभा* का निर्णय संबंधित कारखाने और सरकारी प्राधिकरण पर अनिवार्य होगा।

(7) पूर्ण कोरम के अभाव में, उपर्युक्त प्रस्ताव पर *ग्राम सभा* की बैठक में विचार नहीं किया

जाएगा।

40. शराब की दुकानों का जारी रहना :- (1) किसी भी वर्ष के लिए शराब की दुकान जारी रखने के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में संबंधित आबकारी विभाग द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(2) शराब की दुकान तभी जारी रह सकती है जब ग्राम सभा में शराब की बिक्री जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाए। यदि ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर शराब की दुकान को बंद करने का निर्णय लेती है और दुकानदार द्वारा स्वेच्छा से दुकान बंद नहीं की जाती है, तो नशा नियंत्रण समिति अपने विवेक से दुकान को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी।

(3) यदि ग्राम सभा में उपस्थित बहुसंख्यक महिलाओं की दुकान बंद करने की राय है तो इसे ग्राम सभा की राय माना जाएगा।

अध्याय IX

लघु वनोपज

41. अनुसूचित क्षेत्र में लघु वनोपजों का प्रबंधन :- (1) अनुसूचित क्षेत्र में सभी लघु वन उपज का प्रबंधन ग्राम सभा में निहित होगा।

(2) ग्राम सभा संसाधन नियोजन और निगरानी समिति या इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति के माध्यम से लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान के अधिकार को पूरा करने का विकल्प चुनेगी।

(3) संसाधन नियोजन और निगरानी समिति सभी लघु वन उत्पादों के लिए एक प्रबंधन और संरक्षण योजना तैयार करेगी ताकि पूरी ग्राम सभा के लाभ के लिए ऐसे लघु वन उत्पादों का स्थायी और समान रूप से प्रबंधन किया जा सके।

(4) ग्राम सभा द्वारा लघु वन उपज के अधिकार के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, संसाधन नियोजन और निगरानी समिति में पदेन सदस्य के रूप में सरकार द्वारा तय किए गए उचित स्तर का एक वन अधिकारी होगा। परन्तु ऐसे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा, साथ ही वह संसाधन आयोजना एवं निगरानी समिति के सचिव का पद धारण नहीं करेगा।

(5) ऐसा सदस्य संसाधन नियोजन और निगरानी समिति और ग्राम सभा को तकनीकी मामलों, जैसे कार्य योजना, लघु वन उपज के सतत उपयोग, उपयुक्त वन संवर्धन प्रथाओं आदि के बारे में सलाह देगा।

(6) लघु वन उपज तक पहुंच के लिए पारगमन परमिट संसाधन नियोजन और निगरानी समिति द्वारा अपनी बैठक में जारी किए जाएंगे।

संसाधन नियोजन और निगरानी समिति ट्रांजिट परमिट जारी करने, बिक्री या उपज से आय के उपयोग या प्रबंधन योजनाओं के संशोधन से संबंधित सभी निर्णय ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए रखेगी।

(7) संसाधन नियोजन और निगरानी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह कटाई, निविदा, उपज की बिक्री आदि को पारदर्शी तरीके से करे। सरकार समय-समय पर ग्राम सभा या पंचायत को अनुदेश दे सकती है या निदेश जारी कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु वन उपज के प्रबंधन में पारदर्शता और प्रभावशीलता इस प्रकार हो जो अधिनियम के उपबंधों के विपरीत न हो।

(8) ग्राम सभा यदि चाहे तो लघु वनोपजों तक सतत पहुंच, विपणन और वित्तीय प्रबंधन तथा

लेखा पालन के लिए तकनीकी ज्ञान की योजना तैयार करने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित वन विभाग की सहायता मांग सकती है। वन विभाग की इस सलाह को *ग्राम सभा* के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) *ग्राम सभा*, लघु वन उपज की सीमित मात्रा के मामले में, संसाधनहीन और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों जैसे कुछ लोगों द्वारा इसके संग्रह और उपयोग के लिए चक्रीय व्यवस्था कर सकती है।

(10) *ग्राम सभा* लघु वनोपजों के दोहन में नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए सक्षम है, जिसमें दंड लगाना भी शामिल है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु वनोपज के संग्राहक ऐसा कोई कार्य न करें जिससे जंगल को हानि पहुंचे।

(11) राज्य सरकार और पंचायतें उचित स्तर पर *ग्राम सभा* को प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग, मूल्य वर्धन और बाजार लिंकेज के प्रयोजनों के लिए सहायता, मार्गदर्शन और जनशक्ति देने के लिए योजनाएं बनाएंगी, ताकि लघु वन उपज का सुचारू रूप से प्रबंधन हो सके।

42. *लघु वनोपज के लिए योजना* :- (1) ग्राम आवश्यकताओं, जैसे चराई, मकान और हल बनाने की पूर्ति के लिए, *ग्राम सभा* संबंधित वन अधिकारियों के परामर्श से लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले वन संसाधनों के उपयोग के लिए एक लघु वन योजना तैयार करेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति संसाधन नियोजन और निगरानी समिति से अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होगा।

(2) *ग्राम सभा* इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब व्यक्तियों के आजीविका के लिए उनके हितों की रक्षा की जाए।

(3) *ग्राम सभा* वन संरक्षण, पर्यावरण में सुधार और अपने संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के परामर्श से उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर सकती है।

(4) *ग्राम सभा* लकड़ी या वन उपज के बारे में कोई भी जांच करने के लिए सक्षम है, जो उनके क्षेत्रों से गुजरती है।

(5) यदि पूछताछ करने पर किसी अवैध प्रचालन का संदेह होता है, तो *ग्राम सभा* उसे तत्काल मौके पर रोकने के लिए सक्षम है और उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को सूचित करती है।

(6) *पंचायत*, विकास समिति या स्थायी समिति *ग्राम सभा* के अनुमोदन से लघु वनोपज संबंधी गतिविधियों के संग्रहण से लेकर मूल्य संवर्धन और विपणन तक कर सकती है।

(7) उपर्युक्त गतिविधियों में वित्तीय लेन-देन *ग्राम सभा* या सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त किसी प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए खुला होगा।

अध्याय X

बाजारों का प्रबंधन

43. *अनुसूचित क्षेत्र के बाजारों पर नियंत्रण* :- *ग्राम सभा* अपने क्षेत्र के भीतर बाजारों को अनुमोदित, नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए सक्षम है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं,-

(क) बाजार में दुकानदारों और उपभोक्ताओं के साथ पानी, शेड और अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ख) बाजार में हानिकारक वस्तुओं के प्रवाह और बिक्री पर प्रतिबंध;

- (ग) सुनिश्चित करना कि लेनदेन में वजन, माप और भुगतान वास्तविक है और किसी भी रूप में कोई शोषण नहीं किया गया है;
- (घ) प्रभारित की जा रही कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और साझा करना;
- (ङ) सभी अनुचित प्रथाओं को प्रतिबंधित करना, जिसमें कीमतों के बारे में धोखाधड़ी और गलत सूचना आदि शामिल हैं;
- (च) बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र में जुआ, सट्टेबाजी, भाग्य का परीक्षण, मुर्गा-लड़ाई, आदि पर प्रतिबंध लगाना;
- (छ) पंचायत को छोटे विक्रेताओं को छोड़कर बाजार के दुकानदारों पर कर लगाने की सलाह;
- (ज) निर्णय लेना कि उद्देश्य सिद्धांतों के आधार पर एक छोटे विक्रेता के रूप में कौन योग्य है।

अध्याय XI

ऋण

44. अनुसूचित क्षेत्र में ऋण लेनदेन पर नियंत्रण- (1) ग्राम सभा अपने सदस्यों में से ऋण नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी।
- (2) यह समिति लाइसेंसधारी साहूकारों सहित गैर-सरकारी उधारदाताओं द्वारा शोषक, उदासीन, अवैध उधार या अग्रिमों के मामलों की जांच कर सकती है।
- (3) किसी भी अवैधता के मामले में, ऋण नियंत्रण समिति कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अनुशंसा के साथ अपनी रिपोर्ट भेजेगी।

अध्याय XII

लाभार्थियों की पहचान, योजनाओं का अनुमोदन, पर्यवेक्षण, आदि

45. अनुसूचित क्षेत्र में लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम सभा :- (1) ग्राम सभा सरकारी योजनाओं, अनुदेशों या निदेशों के साथ एकरूपता रखते हुए ग्राम के लोगों में से सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर लाभार्थियों की पहचान के लिए दिशानिर्देशों और मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए सक्षम होगी।
- (2) संबंधित विभाग ग्राम सभा को सभी जानकारी देगा। विचार-विमर्श के बाद, ग्राम सभा लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देगी।
46. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों का अनुमोदन :- (1) पंचायत के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह गाँव के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर सभी ग्राम सभाओं का अनुमोदन प्राप्त करे।
- (2) ग्राम में कोई भी कार्यक्रम या परियोजना शुरू करने से पहले, पंचायत इसे अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
47. उपरोक्त नियम 45 और 46 के मामले में विभागों और पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन :- अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय यदि ग्राम सभा कोई ऐसा निर्णय लेती है जिससे किसी संबंधित विभाग या अधिकारी के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है या बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) संबंधित विभाग या अधिकारी का प्रतिनिधि विवादित मामले पर कार्रवाई स्थगित करेगा और

अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ ग्राम सभा में अपने विचार प्रस्तुत करेगा;

(ख) यदि संबंधित विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर मामला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा जाएगा, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में इसका निर्णय लेगा।

48. खर्चों का प्रमाणन:- पंचायत के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए ग्राम सभा से प्रपत्र क में सभी निधियों के उपयोग का प्रमाणीकरण प्राप्त करे।

49. ग्राम सभा को दिए जाने वाले कार्यों के संबंध में विवरण :- (1) गाँव में प्रत्येक कार्य प्रगति का पूरा विवरण उन सभी संबंधित विभागों द्वारा, जो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, ग्राम सभा की बैठकों में रखा जाएगा।

(2) यदि कार्य की गुणवत्ता और किए गए व्यय के संबंध में कोई आपत्ति है, तो मामले को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा इस मुद्दे की जांच करेगी और इसके सुधार के लिए सुझाव देगी।

(3) किसी भी कार्यक्रम के पूरा होने पर, उसका पूरा विवरण ग्राम सभा की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

50. सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा :- (1) ग्राम सभा सभी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ-साथ स्थानीय संस्थाओं जैसे स्कूलों, अस्पतालों आदि की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए सक्षम होगी।

(2) ग्राम सभा अपनी समीक्षाओं में सहायता के लिए विशेष समितियों का गठन कर सकती है।

(3) स्थानीय संस्थाओं की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्देशों पर विभागों के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उचित रूप से विचार किया जाएगा।

51. सामाजिक लेखापरीक्षा और विकास गतिविधियों की निगरानी :- ग्राम सभा सतर्कता और निगरानी समिति का गठन कर सकती है। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि,-

(क) कार्य के बारे में जानकारी कार्यस्थल पर और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की गई है;

(ख) कार्य की प्रगति और गुणवत्ता बनाए रखी जाती है;

(ग) श्रमिक को किए गए भुगतान का वाचन किया जाता है और सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाता है।

52. राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में समुदाय के रीति-रिवाज, सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए :- (1) यदि किसी ग्राम सभा की यह राय है कि अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित मौजूदा राज्य कानून के कोई प्रावधान उनकी रीति-रिवाजों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं या किसी भी विषय वस्तु के अनुरूप नहीं हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आता है, तो वह उस आशय का संकल्प पारित कर सकती है।

(2) इस प्रकार पारित ऐसे संकल्प को ग्राम सभा द्वारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, जो भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की आवश्यकता के अनुरूप इसे एक प्रति के साथ सरकार को भेजेगा।

(3) सरकार ऐसे संकल्प पर आवश्यक कार्रवाई करेगी और *ग्राम सभा* को इसकी सूचना देगी।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश द्वारा और उसके नाम पर,

डॉ. नरेश गीते,
सरकार के उप सचिव

प्रपत्र -"क"

(नियम 48 देखें)

उपयोगिता प्रमाणपत्र

उपयोग प्रमाण पत्र अनुदान-वार और कोषागार-वार अलग-अलग अग्रेषित किए जाने चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि कोषागार से अनुदान सहायता के लिए एम.एच. के अंतर्गत वाउचर संख्या..... दिनांक द्वारा रुपए की राशि का (मंजूरी प्राधिकारी का नाम) मंजूरी संख्या दिनांक में वर्णित अनुसार के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया।

कंप्यूटर नं.....

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

(रबर स्टैंप के साथ)